25/3 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। अभियोगी/प्रतिवादी संख्या 2-5 की तामिल हो चुकी है। बावजूद तामिल हाजिर नहीं हुये। अतः प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2-5 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

19/5 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अप्रार्थी 6.1 ने जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/7/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

17/7 पत्रावली पेश हुई। आज अधिवापकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/9/25 को पेश है।

4/9 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। बहस अधि. उभयपक्ष की गई। बहस मुताबिक आदेश व जवाब अंकित के है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मूल वाद बंटवारे का है। दौरानेवाद विवादित भूमि के मौके की स्थिति में परिवर्तन करने या हिस्सा विशेष भूमि का बेचान करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है। प्रार्थी के हित की रक्षा तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए अप्रार्थी के दौराने वाद विवादित भूमि के मौके की स्थिति बनाये रखने व हिस्सा विशेष भूमि का बेचान करने पर पाबन्दी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थी 6.1 को आगे आदेश निषेधाज्ञा सिपाबद्ध किया जाता है कि वह विवादित भूमि ख.नं. 371, 372 कुल किता 02 कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर पर किसी प्रकार नाधाकरा के दावा तरक्की तक्सीम सामान की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे व हिस्सा विशेष

भूमिका बेचान नहीं करें। कागजी फैसला कुमार
हेकर पक्ष से कमाई, दाखिल दफ्तर हो
निषेधाज्ञा के हवाला से कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी सीकर